उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होम्योपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ-226018

मो0नं0 : 7607355882

ई–मेल–registrar@hmbup.in

पत्रांक–681/एच0एम0बी0/२०२४ दिनांक 06/08/2024

सेवा में, द्वारा- बोर्ड वेबसाइट

प्राचार्य/प्रबंधक,

समस्त डी0एच0पी0 कालेज,

(सत्र 2020-21 एवं 2023-25 प्रथम वर्ष)

विषयः भेषजिक डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (डी0एच0पी0) पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2023-25 प्रथम वर्ष की परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्चस्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में सत्र 2020-21 एवं 2023-25 प्रथम वर्ष की लिखित परीक्षा दिनांक 27.08.2024 से दिनांक 31.08.2024 तक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सितम्बर, 2024 के प्रथम सप्ताह में जारी किये जाने हेतु बोर्ड कार्यालय के पत्र दिनांक 29.07.2024 के द्वारा समय-सारणी जारी की गयी है।

2- परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु पत्राक संख्या-617/एच0एम0बी0/2024, दिनांक 29.07. 2024 द्वारा इच्छुक डी0एच0पी0 कालेजों से परीक्षा केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। उक्त के क्रम में कतिपय कालेजों द्वारा उनके कालेज कालेज को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है तथा परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का अनुरोध किया गया है (सूची संलग्न)।

3- उक्त के अतिरिक्त किसी भी कालेज द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना बोर्ड कार्यालय को प्राप्त नही करायी गयी है। जिससे की उक्त कालेजों की परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है जबकि उक्त अवधि की परीक्षा दिनांक 27.08.2024 से प्रस्तावित है।

अतः समस्त सम्बन्धित कालेजों के प्राचार्य/प्रबन्धक से अनुरोध है कि यदि अपने कालेज को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के इच्छुक है तो वह पत्र दिनांक 29.07.2024 के क्रम में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु उपलब्ध मूल सुविधाओं के साथ अपनी सहमति तत्काल बोर्ड कार्यालय को दिनांक 10.08.2024 तक अनिवार्य रूप से ई-मेल एवं डाक के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करे। यदि सम्बन्धित डी0एच0पी0 कालेजों द्वारा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में अपने कालेज में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के आधार पर परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की सहमति नही दी जाती है तो यह माना

जायेगा कि उन्हें अपने कालेज में परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाना है। तद्नुसार छात्रों की परीक्षा कराये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत उच्चाधिकारयों को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए निर्णय ले लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कालेज के प्राचार्य/प्रबन्धक का होगा।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

06/08/2025

(विनय कुमार त्रिपाठी)

रजिस्ट्रार।

पत्रांक संख्या एवं दिनांक तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक/विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. नियंत्रक, उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ।
3. उप सचिव, आयुष अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, होम्योपैथी, आठवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

06/08/2025

(विनय कुमार त्रिपाठी)

रजिस्ट्रार